

सम्मिलित गार्डर्स की मानवता हो गई तथा नामित विदेशी लिंगियोलार्कों को बताया जायेगा। इसकी सुनान पव के माहम से रिकॉर्डों को प्रिंट नहीं की जायेगी बल्कि लिंगियोलार्कों ने अपने लिंगियोलार्क के बेसडाट के सुनान लिंक से रिप्रेट प्राप्त करनी होगी। अबलन कंटेन का एक अन्यलीं द्वारा बताया जायेगा। अमर्लीं सभी प्रारोग कानून में अपने कंटेन का उल्लेख करता है। अज्ञान कंटेन कोल नाम से रिसेम्प्लो और अन्यलीं ने अज्ञान कंटेन अवैधत करवाया जाता है। अन्यलीं कानूनों से जटिल कंटेन को अवैधत करना सबकी नहीं हो पाता रहता ताकि लिंगियोलार्कों ने यह अवैधत होना की सुनिश्चितता के लिए जारी कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि वार रिकॉर्ड के मुहूर जारी करने के समीप का कोई अप्राप्त कंटेन जारी पर रिकॉर्ड द्वारा वर्णित करवायी गई सुनिश्चितता के लिए जारी कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अप्राप्त कंटेन को अवैधत करने की विकासित विधि जारी की जाती है।

6.13.2 अध्ययन केन्द्र में परिवर्तन

विद्यार्थी को केन्द्र वयन में सुनिकृद ही नहीं है इसलिए विद्यार्थी द्वारा वयनको केन्द्र में परिवर्तन की मौज सम्बन्धित स्थिती नहीं की जाती है। अत्यन्त केन्द्र में परिवर्तन विद्या परिवर्तितों गता-स्नानात्मक, स्विटरिसीय कारण एवं जाग्रत्तों के विवाह नहीं अपना शिक्षा तक आपना वयन को पर पही विद्यार्थी होगा। चुनौती स्विटरिसीय को लिए अत्यन्त केन्द्र में परिवर्तन 30 जून तक एवं जनवरी सप्तर के विवाहितों को लिए अक्टोबर केन्द्र परिवर्तन 30 जून तक ही अनुमति होती है अत्यन्त केन्द्र में परिवर्तन के लिए नियमिता विद्या के उपराना मारा आयेवन पक्षों पर विवाह नहीं दिया जायेगा। अत्यन्त केन्द्र में परिवर्तन के लिए नियमिता चुनौती के 100/- रुपए का 5-वार्षिक विवाहितों की परिज्ञा आयेवन पक्ष के साथ सम्बन्धित अक्टोबर केन्द्र के सम्बन्धित द्वारा आयोजित होने पर पही विद्यार्थी होंगा। विद्या परिवर्तितों में अलगन केन्द्र विद्यार्थिना के सम्बन्ध में नामनीष चुनौती जी जिन असारित आयेवन एवं पर एवं आदात दे सकते हैं।

विशेष: नये स्थापित अध्यायन केन्द्रों पर हिंडीग/तृतीय वर्ष में स्थानान्तरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

6.13.3 कार्यक्रम एवं विषय परिवर्तन (दैक्षिण्य)

6.14 शुल्क एवं शुल्क वापसी

विश्वविदीलक के विस्तृत पाठ्यानन्दों के संबंधित छात्र विद्यालयों द्वारा समाज-सभ्य पर आत्मार्थक गुणों अदा करने के सुझावों की विवरणों एवं विधियों की जापानी जैसी समाज-सभ्य पर अविभूतित वापर। सामाजिक विद्यालयों द्वारा यह जूनी छात्रों की समाजिक पापस नहीं ही जापान। विश्वविदीलक द्वारा प्रत्यक्षम रूपांतरण जाने अवश्य किरण कारण के तत्वाना आवेदन प्रक्र के साथ याहा किया गया युक्त वापस नहीं किया जाएगा।

6.15 क्रेडिट पहली = (1 क्रेडिट = 30 घण्टे)

प्रियतीर्तिकारों के प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए कॉर्टेज घटावा अपनाया गई है। कॉर्टेज का आर्थ है कि एक कॉर्टेज के अध्ययन में लगभग 30-40% का समय लगता है। जिसके अल्पतरामात्र पाठ्य सामग्री का स्थानांश माना, और कॉर्टेजों वाला धैर्यिक सामग्री का प्रयोग, समाप्त हो एवं प्रत्यक्ष सत्र एवं विद्यार्थियों को लाभ देनी समीक्षित है। इस विधि से शिक्षार्थी को 8 कॉर्टेज का कोई पाठ्यक्रम पूरा करना हो तो उसको लिए उसे (8×30)= 240 घण्टे का समय आवश्यक नहीं समझा जाएगा वरन् उसे 60 घण्टे में देना चाहिए। इसिन्हाँ विधियों से हालांकां ने नियमितीय की दृस खालीपान करने वाले प्रत्येक शिक्षार्थी को जितना परिवर्तन अपने शीर्षिक कार्यों को पूरा करने के लिए करना होता है। उसका आकलन शिक्षार्थी खला कर सकता है। शिक्षार्थी को शीर्षिक कार्यालय के लिए नियमितीय कॉर्टेज को पूरा करना होता है। इसमें उसका संदर्भानुषित, प्रयोगानुसार एवं संबंधित कार्य शीर्षित है। उसकी उत्तरीय करने के लिए उसे संदर्भानुषित परीक्षा, प्रयोगानुसार परीक्षा एवं संबंधीय लकड़ी में जलत-जलान दर्ताने करना आवश्यक है।

6.16 काउन्सिलिंग हेतु सामान्य मानक

- सम्बन्ध पाठ्यक्रमों/प्रस्तुतियों के आठ डिक्टेट के कोर्स में 09 से 12 डिक्टेट के कोर्स में 06 से 09, गार डिक्टेट व कोर्स में 04 से 05 सम्बन्धी वसाई (वार्ष) यारोगिता होती।
 - ऐसे पाठ्यक्रम इनमें शिक्षार्थीय तौर सच्चा 05 अथवा 05 से अधिक किन्तु 10 से कम हो, उनमें कोल 50 प्रतिशत कारणिलिंग की तरह यारोगी और यदि शिक्षार्थीय तौर सच्चा 1 से 4 हो तो 25 प्रतिशत परामर्श दियाजारी।

4. पुस्तकालय एवं स्थाना दिक्षान से सम्बन्धित BLIS-04 एवं BLIS-05 वाला MLIS-07 एवं MLIS-08 की प्रयोगात्मक कार्यों के परामर्श सत्रों की सत्या निष्पत्ति होगी।

क्रम संख्या	क्रॉडIC	ज्ञानमुद्धरण पदार्थों संस्कृती की संख्या
1	4	5 के लगातार पर 7 संदर्भानुसार पदार्थों संस्कृती सहित
2	6	9 के लगातार पर 12 संदर्भानुसार पदार्थों संस्कृती सहित
3	8	12 के लगातार पर 15 संदर्भानुसार पदार्थों संस्कृती सहित

6.17 प्रायोगिक एवं परियोजना (प्रोजेक्ट) कार्य

जिन कार्यक्रम में प्रयोगात्मक एवं प्रोत्साहक कार्य निर्मिति है, उसकी लाभस्था निर्मिति आयायन कोन्वेंशन पर ही ही गयी है। प्रोत्साहक कार्य का विषय ज्ञात द्वारा निर्देशक (तुष्प्रभागदाता) की सहायता से इस प्रकार निर्मिति विधि जारीदारों के प्रोत्साहन विषय मिल्य-जिन्हें रहे रहते हैं। इसमें सामूहिकता गा कोई प्राप्तानन नहीं है। निर्देशक का वायन निर्मिति नहानकों के अनुसार समर्पित ही सहायता से विधा जारीगा। परीक्षाकारी कार्य से सम्बन्धित महालक्षण द्विरा निर्देशक इस प्रकार है-

(2) प्रतीक्षा छात्र द्वारा यथानित परिस्थितियों कार्य का विषय तथा निर्देशक (नामपूर्वाहुरत) का नाम, पद, कार्यस्थल सम्बन्ध का नाम तथा प्रता सत्र प्रारम्भ होने के एक माह के गोत्र विषयविवाचक योग सुनिका किया जाना चाहिए।

(3) प्राजेष्ट कार्य का विषय वास्तविक विभिन्न की समस्याओं से सम्बन्धित होना चाहिए।
 (4) प्राजेष्ट कार्य की रिपोर्ट खरोशित शार्ट, स्ट्राईपिंग आदि से नुकसां होनी चाहिए। विस्तार जी दूर्घट से यह A-4 आकार में

(5) मुद्रित कम से कम 25 पृष्ठ का अवलम्बन हो।
प्रतीक्षा प्रोजेक्ट रिपोर्ट के प्रारंभ में शिखावाची तथा निर्देशक के हस्ताक्षर अवलम्बन होने चाहिए तथा निर्देशक द्वारा मालिक

(6) कांगे सम्बन्धी पपाज-पत्र लगाना अनिवार्य है। शिक्षार्थियों गो प्रोजेक्ट कार्य का मुद्रण पैरंग प्रतियों में करवाना होता। भार प्रतियों अल्वायन केंद्र पर जमा करनी होगी

(7) और एक प्रति विकासी अपने पास सुरक्षित रखेगा।
प्रोजेक्ट कार्य की निर्देशक (संपर्यगद्वारा) हेतु अनियाय आहता, सम्बोधित विषय में प्रवासनातक उपचारी है। निर्देशक से यह

अंग्रेज़ों की जाती है कि उसे उस विषय में पर्याप्त अनुभव हो और वह किसी गोम्य पद पर कार्यसंता हो अथवा अवकाश प्राप्त हो।

(B) एक निर्देशक एक सत्र में अधिकातम 10 व कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्यक्रमों में अधिकातम 05 शिक्षार्थियों को निर्देशित कर सकता है।

(9) प्रोजेक्ट का मूल्यांकन 100 अंकों में होगा। इनमें आन्तरिक मूल्यांकन 30 प्रतिशत अंकों के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से निर्देशक द्वारा किया जानेवाला तथा समन्वयक इन अंकों को निर्धारित कियि के अन्तर्गत परीक्षा उत्तमांग तोड़ उपलब्ध

करता रहे। द्वितीय प्रकार 70 प्रतिशत उक्त बाह्य मूल्यानं हेतु नियमित विवे गये हैं, बाह्य मूल्यानं हेतु कुछ प्रोजेक्ट के साथ सीधिक परीक्षा की जाता स्थि है जिसका कार्यालय परीक्षा विभाग द्वारा संचित किया जाता है तथा जिन प्रोजेक्ट में

माहूर मूल्यांकन के लिए मैं नोटिकल परीक्षा की ज्ञातस्था नहीं है, ऐसे प्रोजेक्ट समन्वयक द्वारा निर्धारित तिथि तक विशेषज्ञात्व को मूल्यांकन हेतु में देना अनिवार्य है।

(10) प्रोजेक्ट कार्य पूर्णार्थ सत्र के प्रथम सेमेस्टर तात्पा जननदी सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जननार्थी सत्र के वार्षिक आधार वाले कार्यक्रमों के विवारणियों के लिए जगा करने वाली अनिम तिथि 30 नवम्बर एवं जननार्थी सत्र के प्रथम सेमेस्टर तात्पा

जुलाई सत्र के द्वितीय सेमेस्टर एवं जुलाई सत्र के पार्श्वकाल आपार पर संवादित कार्यक्रमों हेतु जमा करने के लिए 30 अपैली नियमिति की गई है।

(11) प्रोजेक्ट कार्य में मार्ग दर्शन हेतु पश्चामर्श सत्रों का प्रावधान नहीं है।

उत्तर प्रदेश लाजी टण्डन मुक्ता विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीजी. डिप्लोमा कार्यक्रमों ने अधिकारी विभाग की सहायता से अपनी विषयों में अधिकारी विभाग की सहायता से अपनी विषयों में अधिकारी विभाग की सहायता से अपनी विषयों में

आज्ञान्यास ताव आन
प्रनाम—पत्र तार्कान

परेशा का अवार कहाया जाता है।

- विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नियमों, कार्यक्रम-प्रारूप, कार्यक्रम शुल्क, नवीन कार्यक्रमों, प्रवेश परीक्षा आदि से सम्बन्धित विस्तृत/संशोधित अद्यतन सूचना समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होगी तथा अंतिम रूप से मान्य होंगी।

पुनः पंजीकरण (Re-Registration) सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्देश

- पुनः प्रवेश निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुमत्य है—
 - ऐसे शिक्षार्थी जो कार्यक्रम की अधिकतम अवधि तक सम्पूर्ण/आंशिक रूप से पाठ्यक्रम को पूर्ण करने में असफल रहे हों।
 - ऐसे शिक्षार्थी जो कार्यक्रम की अधिकतम अवधि तक उसके पाठ्यक्रम में निहित प्रयागात्मक प्रश्न—पत्रों में नियमानुसार उपस्थिति इत्यादि औपचारिकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहे हों।
- ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने कार्यक्रम के सभी वर्षों/सेमेस्टरों में पंजीकरण नहीं कराया है और कार्यक्रम की अधिकतम अवधि तक उसका सम्पूर्ण कार्यक्रम शुल्क जमा नहीं किया है, वे भी पुनः पंजीकरण हेतु अर्ह हैं। इस शर्त के साथ की उन्हें उस सत्र (जिस कार्यक्रम में वे पुनः प्रवेश ले रहे हैं) की वर्तमान शुल्क दरों के सापेक्ष 20 प्रतिशत शुल्क देना होगा।
- पुनः प्रवेश हेतु जमा शुल्क एक क्रमागत शैक्षणिक सत्र अथवा 2 क्रमागत सेमेस्टरों के लिए ही मान्य होगा।
- एक वर्ष अथवा दो सेमेस्टरों से अधिक, शिक्षार्थी विश्वविद्यालय की नामावली में नहीं होगा। जैसा कि सं 3 में कहा गया है।
- एक वर्ष की यह अतिरिक्त अवधि कार्यक्रम के प्रारम्भिक पंजीकरण की अधिकतम अवधि के समाप्त होने के पश्चात् आगामी सत्र से प्रारम्भ हुई मानी जायेगी।
- सफलतापूर्वक पूर्ण किए गये पाठ्यक्रम और अधिन्यास में विद्यार्थी द्वारा प्राप्त क्रेडिट पुनः मान्य अवधि में यथावत बने रहेंगे।
- यदि पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो पुनः प्रवेश की स्थिति में किसी पाठ्य सामग्री की आपूर्ति नहीं होगी। जिन पाठ्यक्रमों में परिवर्तन हुआ होगा उनके लिए उन्हें पाठ्य सामग्री क्रय करनी होगी।
- जिन कार्यक्रमों में प्रायोगिक कार्य कराया जाता है उनके शुल्क के मानक, सम्बन्धित विद्याशाखा एवं विद्या परिषद द्वारा निर्धारित किए गए हैं।
- पुनः प्रवेश के साथ छूटे हुए सत्र का पुनः पंजीयन शुल्क (यदि कोई हो) का ई-चालान वित्त अधिकारी, उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के पक्ष में ऑन-लाइन वेबसाइट के माध्यम से देय होगा। शिक्षार्थी को अपना नामांकन संख्या, नाम, कार्यक्रम कोड, ई-चालान पर अवश्य लिखना होगा, साथ ही पुनः प्रवेश फार्म पर भी इस पर अंकित करना होगा।
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित — प्रवेश तथा पुनः प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियम पूर्ववत् रहेंगे।

नोट :

- ◆पुनः पंजीकरण की व्यवस्था कार्यक्रम की अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् आगामी एक वर्ष के लिए ही मान्य होगी। अधिकतम अवधि समाप्त होने के पश्चात् यदि शिक्षार्थी आगामी सत्र में पुनः प्रवेश हेतु आवेदन नहीं करता है तो उसे उसके बाद इसका लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- ◆सत्र 2013 से पूर्व के नामांकित शिक्षार्थियों को पुनः पंजीकरण का लाभ सत्र 2018–19 में ही देय होगा। इसके पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में पुनः पंजीकरण का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।
- ** समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा संशोधन के अधीन।

अध्ययन केन्द्र समन्वयकों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

समन्वयक महोदय विश्वविद्यालय की समस्त गतिविधियों के सफल एवं समयबद्ध संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों तथा नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। अध्ययन केन्द्र समन्वयक, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक गतिविधियों के सफल संचालन हेतु निम्नांकित तिथियों के अनुसार अनिवार्य रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करें—प्रवेश एवं शैक्षणिक क्रियाकलापों की रूप-रेखा

क्र.सं.	प्रवेश एवं शैक्षणिक क्रियाकलाप	जुलाई सत्र		जनवरी सत्र	
		सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली	सेमेस्टर प्रणाली	वार्षिक प्रणाली
1	ऑन लाइन प्रवेश आवेदन पत्र एवं सूचना विवरणिका की अध्ययन केन्द्रों पर उपलब्धता		वर्ष पर्यन्त		वर्ष पर्यन्त
2	प्रवेश की तिथि	16 फरवरी से 15 सितम्बर		16 सितम्बर से 15 फरवरी	
3	अध्ययन केन्द्रों द्वारा क्षेत्रीय केन्द्रों को प्रवेश फार्म का प्रिन्ट आउट सभी संलग्नकों सहित प्रेषित करने की तिथि			22 सितम्बर एवं 22 फरवरी तक	
4	क्षेत्रीय केन्द्रों द्वारा प्रवेश अनुभाग को अध्ययन केन्द्रों से प्राप्त प्रवेश फार्म का प्रिन्ट आउट सभी संलग्नकों सहित प्रेषित करने कि तिथि			30 सितम्बर एवं 02 मार्च तक	
5	परामर्श सत्र संचालन हेतु प्रस्तावित माह।	अक्टूबर-नवम्बर	मार्च-अप्रैल	मार्च-अप्रैल	अक्टूबर-नवम्बर
6	शिक्षार्थियों द्वारा अध्ययन केन्द्र पर अधिन्यास पुस्तिका जमा करने की तिथि।	31 अक्टूबर	31 मार्च	31 मार्च	31 अक्टूबर
7	शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु मूल्यांकित अधिन्यास पुस्तिका वापस करने की तिथि।	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर

8	शिक्षार्थियों द्वारा परियोजना कार्य अध्ययन केन्द्रों पर जमा करने की अन्तिम तिथि।	30 नवम्बर	30 अप्रैल	30 अप्रैल	30 नवम्बर
9	मूल्यांकित परियोजना कार्य के आन्तरिक अंक परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	20 दिसम्बर	20 मई	20 मई	20 दिसम्बर
10	अध्ययन केन्द्रों द्वारा जमा परियोजना कार्य तीन प्रतियों में बाह्य मूल्यांकन हेतु परीक्षा अनुभाग को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	05 दिसम्बर	05 मई	05 मई	05 दिसम्बर
11	बैक परीक्षा फार्म भरने की अन्तिम तिथि।	31 अक्टूबर	31 मार्च	31 मार्च	31 अक्टूबर
12	अध्ययन केन्द्रों द्वारा ऑन लाइन भरे हुए बैक परीक्षा फार्म के प्रिण्ट आउट को शुल्क चालान सहित परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि।	10 नवम्बर	10 अप्रैल	10 अप्रैल	10 नवम्बर
13	परीक्षा प्रारम्भ होने की प्रस्तावित तिथि	15 दिसम्बर	15 मई	15 मई	15 दिसम्बर

- अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थियों के ऑन लाइन प्रवेश को उनकी उपस्थिति में ही कन्फर्म करेंगे।
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक यह आश्वस्त हो लें कि ऑन लाइन प्रवेश लेने वाला शिक्षार्थी जिस कार्यक्रम में वह प्रवेश लेना चाहता है उसके लिए पूर्णतया अर्ह है। अनर्ह शिक्षार्थी का प्रवेश कदाचित न करे। अनर्ह शिक्षार्थी के प्रवेश को ऑन लाइन प्रवेश को सुनिश्चित करने की दशा में इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अध्ययन केन्द्र समन्वयक, प्राचार्य एवं स्वयं शिक्षार्थी की होगी और उसके द्वारा जमा शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा और उसका प्रवेश किसी भी समय निरस्त कर दिया जायेगा।
- अध्ययन केन्द्र समन्वयक शिक्षार्थी के ऑन लाइन प्रवेश की सभो औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात् उसके ई-फार्म के प्रिण्ट आउट के साथ उसकी योग्यता प्रदायी सभी अंकतालिकाएं एवं उपाधि की प्रमाणित छाया प्रति एवं एण्टी रैगिंग शपथ फार्म के प्रिण्ट आउट की छाया प्रति को एक साथ संलग्न करते हुए अपने से सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र पर प्रवेश की अन्तिम तिथि के एक सप्ताह के पश्चात् अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगे।
- परामर्श कक्षाओं की सूचना एवं समय-सारणी अध्ययन केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराएँ और एक प्रति विश्वविद्यालय में स्थापित परामर्श प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराएँ। यदि परामर्श कक्षाओं की समय-सारणी परामर्श सत्र संचालन से पूर्व परामर्श प्रकोष्ठ को प्रेषित नहीं की जाती है तो ऐसी स्थिति में परामर्श सत्रों के मानदेय का भुगतान किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा।
- विश्वविद्यालय के समस्त अध्ययन केन्द्रों के समन्वयकों/प्राचार्यों/निदेशकों से अपेक्षा है कि परामर्श सत्र की समाप्ति के तीन माह के अन्दर निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार परामर्श देयक भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा विलम्ब से प्राप्त परामर्श देयकों के भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।
- अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श-सत्र ले रहे प्राध्यापकों का पूर्ण विवरण (नाम, पद, अनुभव, पता एवं मोबाइल नम्बर आदि) स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड-पार्सल के माध्यम से सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र को निर्धारित तिथि तक अवश्य प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- अधिन्यास मूल्यांकन हेतु अध्ययन केन्द्रों पर परामर्श कक्षाओं को ले रहे प्राध्यापकों की सूची परामर्श प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जाना है। परामर्श प्रकोष्ठ द्वारा इन प्राध्यापकों का अनुमोदन माननीय कुलपति जी से प्राप्त किया जायेगा। यही प्राध्यापक अधिन्यास उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु अर्ह माने जायेंगे।
- अधिन्यास कार्य में 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले शिक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकायें निरीक्षण हेतु मुख्यालय पर मंगवाई जा सकती है।
- पूर्व की भांति अध्ययन केन्द्र समन्वयक अपने केन्द्र पर जमा 'अधिन्यास उत्तर पुस्तिका' को मूल्यांकित कराकर निर्धारित तिथि तक अधिन्यास अंक हार्डकापी में एवं ऑन लाइन अनिवार्य रूप से अपने से विश्वविद्यालय को तथा उसकी एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय केन्द्र को अवश्य उपलब्ध करा देंगे।
- मानदेय इत्यादि बिल के भुगतान हेतु निर्धारित प्रपत्र का ही प्रयोग करें और समन्वयक अपने हस्ताक्षर के साथ वाउचर इत्यादि समस्त पत्रजात अवश्य संलग्न करें।
- विशेष परिस्थितियों में अथवा पर्याप्त छात्र संख्या न होने पर विश्वविद्यालय को किसी कार्यक्रम को वर्तमान सत्र में सर्वत्र या किसी विशेष केन्द्र पर बन्द करने या न चलाने का अधिकार होगा। स्नातक विज्ञान की कक्षाएं सीमित केन्द्रों पर ही चलाये जाने की व्यवस्था है।
- अध्ययन/सम्पर्क केन्द्र एवं परीक्षा केन्द्र आबंटन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
- आपके केन्द्र को जिन कार्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु अधिकृत किया गया है, केवल उन्हीं कार्यक्रमों में प्रवेश लें। ऐसे कार्यक्रम जिनमें आपको अनुमति नहीं है, प्रवेश न लें।